न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

c.c. issued vide letter No- 12 dt.- 10.01.14
17/01/14
H.A.

संतोष आचार्य

वनाम

मसो० ललिता दवी

वाद संख्या–11/2013–14

वाद का प्रकार–सीमाकंन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि के सीमांकन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा अफजला अंचल वो थाना बिरौल जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
			उ0–नीज
717 पु0	1425 पु0	ए0 डि0	आवेदक
1164			
नया	3341 पु0	0–80 डि0	द0–ललीता देवी
	733 नया		पु0–सड़क
			प0–लटुरन
			चौपाल

प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादी भूखण्ड आवेदक को तत्कालीन हिन्दू परिवार ने बजरिये निबंधित केवाला नं0 1834 दिनांक 16.02.1966 से खरीद की। हाल सर्वे के पदाधिकारी ने आवेदक के पुर्वजो का कब्जा देखते हुए मौजा अफजला थाना नं0 294

हाल थाना बिरौल का नया खाता 1164 नया खेसरा 733 रकवा 80 डि0 दर्ज किया है। विपक्षीगण का खेसरा नं0 1934 पुराना वो 3341 नया, नया 734 आवेदक का नया खेसरा 733 के सटे दक्षिण है। वजह नालिस दिनांक 12.04.13 को हुआ जिस दिन विपक्षीगण ने उत्तरवरिया आड़ की पुर्व हैसियत बदल कर थोड़ा और उत्तर कर दियाा। सीमाकंन की समस्या को सत्यापित करने के लिए अमीन से दिनांक 17.04.2013 को जमीन की पैमाइश करायी तो सीमा विवाद स्पष्ट हो गया। आवेदक का निवेदन है कि नया खेसरा नं0 733 का नापी कराकर सीमाकंन वाद की समस्या का समाधान सदा के लिए कर दिया जाय।

वहीं दुसरे तरफ प्रतिवादीगण का संक्षेप मे कहना है कि पुर्व में भी वादी द्वारा अंचलाधिकारी बिरौल को सीमाकंन हेतु लिखित आवेदन दिया था। वादी के लिखित आवेदन पर अंचल अधिकारी बिरौल द्वारा सीमाकंन कराया गया है। सीमाकंन के वाद प्रतिवादी द्वारा अपने सीमा पर पीलर देकर अपना सीमा सुरक्षित कर लिया है। वादी पुनः सीमाकंन कराना चाहता है तो प्रतिवादी को इसमें कोई आपत्ति नही है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि का सीमाकंन कराने की मॉग की गयी है प्रतिवादी अपना सीमा तोड़ा और उत्तर कर लिया है जो कि मेरे जमीन में पड़ता है। जबकि प्रतिवादी का कहना है कि पुर्व में अंचल अमीन द्वारा अंचलाधिकारी के आदेश पर सीमाकंन किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा पुर्व में किये गये सीमाकंन का प्रतिवेदन संलग्न किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के उत्तरी सीमा एवं वादी के दक्षिणी सीमा का सीमाकंन अंचल अमीन द्वारा किया जा चुका है एवं नापी प्रतिवेदन पर वादी द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया है। अंचल अमीन अपने नापी प्रतिवेदन में स्पष्ट करते है कि मापी कर सीमा चिन्हित कर दिया गया तथा सभी मेड़ पर ईट एवं खुट्टी गरवा दिया गया। मापी से उभय पक्ष संतुष्ट हुए एवं दोनो पक्षो का हस्ताक्षर भी है। सुनवाई के दौरान प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वताया गया कि पुर्व में किये गये मापी का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे द्वारा अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के साथ 07.08.13 को स्थल निरीक्षण किया

गया। स्थल निरीक्षण के कम में पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा पुर्व में किये गये मापी का कोई उल्लंघन नही किया गया है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर स्पष्ट है कि प्रश्नगत सीमा का पुर्व में मापी कर सीमाकंन किया जा चुका है। वादी का मापी प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर भी है एंव प्रतिवादी द्वारा मापी का कोई उल्लंघन नही किया गया है। इस प्रकार बार बार सीमाकंन कराना युक्तिसंगत प्रतीत नही होता है। अतः पुनः सीमाकंन कराने के आवेदन को खारिज किया जाता है।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से उभय पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल